वित्तीय स्वीकृति (2017-18)

संख्या-6/2017/एस0ई0-595/दस-17-बीमा-1/2016

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय,
विकासदीप, 22 स्टेशन रोड, लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 10 अगस्त, 2017

विषय:- अनुदान संख्या-66 के अंतर्गत सामूहिक बीमा निदेशालय के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पांच माह (अप्रैल से अगस्त 2017 तक) के लिये स्वीकृत लेखा अनुदान को घटाते हुये अवशेष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 के क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 (प्रति संलग्न) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के लेखाशीर्षक-"2049-ब्याज अदायगियॉ-03-अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज-108-बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज-03- कर्मचारी सामूहिक बीमा पर ब्याज-32-ब्याज/लाभांश (भारित)" के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू0 22766.96 लाख में से वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पांच माह (अप्रैल से अगस्त 2017 तक) के लिये स्वीकृत लेखा अनुदान को घटाते हुये वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये अवशेष रू0 13280.73 लाख (रूपया एक अरब बत्तीस करोड अस्सी लाख तिहत्तर हजार मात्र) व्यय करने हेतु, उपरोक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 03-08-2017 में उल्लिखित प्रतिबन्धों/ निर्देशों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय
राजीव कुमार वत्स
अनु सचिव

संख्या-6/2017/एस0ई0-595(1)/दस-17, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,
राजीव कुमार वत्स
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in